मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्याः ए–49/13/4/2008–रा.भा. दिनांक : 06 सितम्बर, 2012

परिपत्र

विषय : दिनांक 23.08.2012 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न क.रा.बी. निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2012 को आयोजित क.रा.बी. निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

सेवा में,

1 मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
2 संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
3 उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
4 महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर,नई दिल्ली–110023
5 सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा ।
6 सभी चिकित्सा अधीक्षक — क.रा.बी. अस्पताल ।
7 मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं ।
8 उप निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
9 संयुक्त निदेशक(जन सम्पर्क), मुख्यालय को प्रचारार्थ ।
10 गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां ।
11 वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु ।

E:\Amrit\Rajbhasha\Bhatt\Vibhagiya Rajbhasha Karyanvayan Samiti\Minutes\Forwarding Letter of OLIC Minutes.doc

1156
11/9/12

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक श्री बी.के. साहू, बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2012, गुरुवार को अपराह्न 4.30 बजे मुख्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । इसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम श्री/श्रीमती	
1.	बी.के. साहू, बीमा आयुक्त	**अध्यक्ष**
2.	टी.के. भट्टाचार्य, आयुक्त (का. एवं प्रशा.)	सदस्य
3.	डॉ. सूपा राम चौहान, चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
4.	डॉ. अभिमन्यु पांडा, उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
5.	स्वदेश कुमार गर्ग, अपर आयुक्त (प्रणाली)	सदस्य
6.	के. राजसेकर, अपर आयुक्त (वित्त)	सदस्य
7.	दीपक जोशी, संयुक्त निदेशक (स्था.–1)	सदस्य
8.	सुनील कुमार शाह, संयुक्त निदेशक (स्था.–3 एवं 4)	सदस्य
9.	अनिल कुमार साहू, संयुक्त निदेशक (विधि एवं प्रबंध सेवा एकक)	सदस्य
10.	राजकंवल, संयुक्त निदेशक (सूचना का अधिकार)	सदस्य
11.	आर.एस. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (हितलाभ)	सदस्य
12.	रत्नेश कुमार गौतम, संयुक्त निदेशक (जन संपर्क)	सदस्य
13.	विजय कुमार रोड़ा, उप निदेशक (स्था.–2)	प्रतिनिधि
14.	मीनाक्षी नंदा, उप निदेशक (स्थापना शाखा–6)	प्रतिनिधि
15.	डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	**सदस्य–सचिव**

पूर्वोक्त के अलावा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक(राजभाषा) एवं श्री सतीश कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे ।

सर्वप्रथम सदस्य–सचिव डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक(रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय एव उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि आज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में माननीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

आयोजित हुई थी । इसमें चर्चा किए गए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विषयों को सदस्यों के संज्ञान में लाया गया :–

(1) हमारे निगम मुख्यालय की वेबसाइट की प्रशंसा की गई तथापि लाइनेक्स कम्प्यूटरों में तीन माह के भीतर यूनिकोड सक्रिय किया जाना आवश्यक है । इसके बाद सभी मॉड्यूलों को भी द्विभाषी बनाना है ।

(2) निगम में रिक्त पड़े सभी हिंदी पदों को भरना है ।

(3) सरकारी कामकाज में हमें सरल (बोल–चाल वाली) हिंदी का प्रयोग करना है ।

(4) मुख्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन में श्रम सचिव भी उपस्थित होंगे ।

तत्पश्चात सदस्य सचिव ने कहा कि यह बैठक सितम्बर, 2012 तिमाही के लिए है । इसमें जून, 2012 तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी । बैठक में निम्नलिखित विषयों पर मदवार चर्चा हुईः–

मद संख्या 1	**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा ।**

सदस्य–सचिव ने कहा कि पिछली बैठक का मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं शाखाओ को परिचालित किया जा चुका है । किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ है । यदि अनुमति हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए । सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

पिछली बैठक में हुए निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि :–

1. लेखा शाखा–1 को तिमाही रिपोर्ट में पत्राचार संबंधी आंकड़े भेजने के लिए अनौपचारिक टिप्पणी भेज दी गई थी ।
2. स्थापना शाखा–1 को धारा 3(3) संबंधी दस्तावेज एक साथ द्विभाषी में जारी करने के संबंध में पत्र भेज दिया गया था ।
3. मुख्यालय में लगे नामपट्टों की त्रुटियों को ठीक करवाने संबंधी सूची सामान्य शाखा को दे दी गई थी ।

मद संख्या 2	हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा ।

सदस्य–सचिव ने शाखाओं द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों की तालिका पर चर्चा करते हुए कहा कि जून तिमाही के दौरान कुल 11197 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए थे । नियमानुसार किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया । मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 72%, 'ख' क्षेत्र के साथ 71% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 42% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया । तिमाही के दौरान फाइलों में कुल 22122 टिप्पणियों में से 54.41% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गईं । सदस्य–सचिव ने हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता बढ़ाए जाने पर बल दिया ।

सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि शाखाओं से तिमाही रिपोर्टें तो प्राप्त होती हैं, परन्तु समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इन्हें सावधानीपूर्वक तैयार नहीं किया गया है । उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

बीमा आयुक्त ने आंकड़ों का अवलोकन करते हुए पाया कि चिकित्सा शाखा–4 तथा 6 में हिंदी पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं है । उन्होंने इन दोनों शाखाओं के निरीक्षण करने के निदेश दिए ।

मद संख्या 3	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन ।

सदस्य–सचिव ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा अधिनियम की यह धारा अधिदेशात्मक है । इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी 14 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये केवल अंग्रेजी में जारी न हों । यदि किसी को अनुवाद की सुविधा चाहिए तो राजभाषा शाखा इस कार्य के लिए हमेशा तैयार रहती है ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में सजग रहने का निदेश दिया । इसी संदर्भ में श्री रत्नेश गौतम, संयुक्त निदेशक(ज.सं.) ने अवगत कराया कि कुछ अस्पतालों द्वारा निगम के पुराने लोगो (अंग्रेजी) का प्रयोग किया जा रहा है । निगम अस्पतालों में नया लोगो (द्विभाषी) प्रयोग करने की अनिवार्यता के संबंध में चिकित्सा आयुक्त के हस्ताक्षर से पत्र जारी करने का निर्णय किया गया ।

मद संख्या 4	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा ।**

सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए जो राजभाषा संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुझाव दिया कि मुख्यालय के अधिकारी जब भी निगम इकाइयों में दौरे पर जाएं तो वहां हिंदी की प्रगति की स्थिति का भी जायजा अवश्य लें ।

मद संख्या 5	**जाँच बिन्दुओं पर कार्रवाई ।**

सदस्य सचिव ने कहा कि निगम मुख्यालय ने उन्हीं जांच बिन्दुओं को अपनी सूची में रखा है, जो राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं । यदि प्रत्येक अधिकारी द्वारा जांच बिन्दु स्तर पर सतर्कतापूर्वक जांच रखी जाए तो कार्यालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुगम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस ओर विशेष ध्यान देने के निदेश दिए ।

मद संख्या 6	**क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति ।**

सदस्य–सचिव ने सूचित किया कि क्षेत्रीय इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग उनसे प्राप्त मासिक/तिमाही रिपोर्टों आदि की समीक्षा करके सुनिश्चित की जाती है । इसके अतिरिक्त समय–समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं । आलोच्य तिमाही में 4 निरीक्षण किए गए । समिति को बताया गया कि कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से 'क' क्षेत्र में कानपुर, जयपुर एवं इंदौर तथा 'ख' क्षेत्र में अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ और 'ग' क्षेत्र में हुबली एवं गोवा के कार्यालयों में श्रेष्ठ प्रदर्शन पाया गया ।

मद संख्या 7	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।**

- संयुक्त निदेशक(ज.सं.) ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सुझाव दिया कि पुस्तकालय में सामाजिक सुरक्षा विषय पर हिंदी की पुस्तकें नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए श्री रत्नेश गौतम संयुक्त निदेशक(ज.सं.), श्री दीपक जोशी संयुक्त निदेशक(स्था.1) तथा

डॉ. अभिमन्यु पांडा (उप चिकित्सा आयुक्त) की तीन सदस्यीय समिति गठित की जो हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए कार्रवाई करेगी ।

- श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक(रा.भा.) ने समिति को अवगत कराया कि विंडोज विस्टा सिस्टम में यूनिकोड सक्रिय हो जाने से फोनेटिक (ट्रांसलिटरेशन) टाइपिंग के माध्यम से मुख्यालय के कई अधिकारियों ने भी हिंदी में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । इसी प्रकार देश के सभी निगम कार्यालयों में भी हिंदी कामकाज में वृद्धि तो होगी ही, कर्मचारी भी इससे प्रेरित होंगे । अध्यक्ष महोदय ने इसकी सराहना की तथा यूनिकोड को लाइनेक्स सिस्टम पर भी सक्रिय कराने की आवश्यकता पर बल दिया ।
- इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निदेश दिए :–
  1. कार्यालय के हिंदी पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची कार्यालय में परिचालित की जाए ।
  2. हिंदी प्रतियोगिताओं की राशि में वृद्धि के लिए विचार किया जाए ।
  3. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की नई सूची बनाई जाए ।
  4. 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों एवं मुख्यालय के आशुलिपिक संवर्ग के लिए भी अक्तूबर, 2012 में चंडीगढ़ में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए । इसमें श्री तपन कुमार भट्टाचार्य, आयुक्त (का. एवं प्रशा.) तथा श्री के. राजसेकर, अपर आयुक्त (वित्त) का मार्गदर्शन भी रहेगा ।
  5. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी बैठकों में सदस्यों को फोल्डर दिए जाएं ।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन हुआ ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
सदस्य–सचिव

C:\Amrit\Amrit - 415\Rajbhasha\Satish\Vibhagiya Rajbhasha Karyanvayan Samiti\Minutes\140th meeting of OLIC.doc